



**BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED**  
**UNIT: BHOPAL**  
**MATERIALS MANAGEMENT DEPARTMENT**

MM 5505  
REV. 06

**Terms and Conditions of Indigenous Enquiry :**

1. **Sealed quotations in duplicate** are invited for the items mentioned in the Enquiry. Quotations should be typed and free from over writing / erasures, Correction or additions must be attested.
2. Each Quotation should be sent in a **double cover**. **Both cover** should be sealed and superscribed with **Enquiry No. E..... due on date .....** the address of the office. Quotation against each Enquiry should be sent in separate set of covers to avoid confusion. Quotation not bearing Enquiry No. and due date liable to be rejected.
3. **The quotation should reach this office on** or before 11.00A.M. and on or before the due date and it will be opened after 2.00 P.M. on the due date.
4. **Sample** must be submitted as specified so as to reach us **on or before the due date of Quotation opening**.
5. **Quality Assurance Plan format** supplied alongwith Enquiry is to be furnished duly filled with the quotation.
6. **Manufacturer's Name, their trade mark and brand**, if any should invariably be mentioned in the quotation and **illustrating leaflets** giving technical particulars etc. attached to the quotation.
7. **Material** should be of **best quality and meet our specification and drawings** mentioned in enquiry. Division if any is to be specifically brought out in the quotation.
8. **Payment Terms :**
  - A. **Local Ancillary and SSI Units & other local parties**  
100% payment on receipt and acceptance of materials within 90 days of the date of receipt in BHEL
  - B. **Outstation SSI and other Suppliers.**
    - BHEL prefers "door delivery" of Material in which case payment shall be within 90 days from the date of despatch.
    - In case documents through Bank, 100% payments within 90 days from the date of despatch of Material / Delivery at our works.
9. **Date of Delivery**, in the event of Purchase Order being placed, may be indicated **itemwise** in the quotation.
10. **No Import Licence** will be given in any case. Only offer for Indigenous manufactured or of Imported Stock will be considered.
11. **No enhancement of rate** for whatever cause will be allowed once the quotation is accepted and the order is placed. Withdrawal from the quotation after it is accepted or failure to make the supply within the scheduled period will entail cancellation of the order in addition to recovery of losses from the successful tenderers.
12. Successful supplier should, if so required by us (in case the quotation is not included in the DGS & D list of Rate Contract) furnish a **security deposit or Bank Guarantee**

- from an approved bank equivalent to an amount of 10% of the total value of the order for the satisfactory execution of the same in accordance with the terms and conditions and delivery specified in the order.
13. **Transit Insurance** will be done by BHEL., Bhopal unless otherwise specified.
  14. All goods are subject to **inspection** by BHEL and or their authorized representative / customer at supplier works / BHEL in the P.O.
  15. All goods should be **Guaranteed** against defect by the supplier for 24 months from despatch or date of acceptance after inspection whichever is later.
  16. In case further subcontracting of BHEL order or part thereof is envisaged by supplier, the details of subcontracting and to whom to be subcontracted shall be furnished to BHEL and written **permission shall be obtained** from BHEL. However it shall not absolve the supplier of the responsibility of fulfilling BHEL order requirements.
  17. Bharat Heavy Electricals Ltd. does not bind itself to accept the lowest or any quotation, but reserves to itself the right to accept full or part of any quotation at its discretion.
  18. **Rate should be quoted in the Units given in the Enquiry and** valid for a period of three months from the due date of opening of quotation. **The rates should be quoted both in figures and words.**
  19. In the event of any tenderer withdrawing the quotation after the quotations are opened but before the Purchase order is placed the Earnest Money, if any deposited by him shall be forfeited.
  20. The quotation must indicate **Tariff item** number and rate of Excise duty applicable : Original Excise duty **Gate pass** will be required to be furnished in case charged to us.
  21. **Only Central Sales Tax** as applicable at the time of supply is to be charged. Our registration No. is Bhopal-1/HEL-11 (C) dated 28-01-1982. However if any tenderer finds that any other sales tax is to be paid, it should clearly be mentioned in the quotation.
  22. Where there is provision for payment of Sales Tax extra, it will only be paid if registration number both under the State Sales Tax and Central Sales Tax are specifically mentioned on the bill / invoice.
  23. **Supplier Sales Tax Registration Number** should be mentioned in the quotation positively.
  24. **Supplies shall be securely protected** and the goods packed against loss, damage etc. Marking and consignee details shall be as per the Purchase Order.
  25. **All Material is to be booked** to Sr. Manager Central Receiving Section, HESG Siding Via Bhopal in case of Rail. In case of Road, the material is to be sent only through BHEL approved Transporters on Door Delivery basis to Sr. Dy. General Manager, Central Receiving Section, Block-VII, BHEL, Bhopal, if any material is not booked as above, any **wharfage or demurrage occurring the reform shall be to the account of the supplier.**
  26. Set of documents consisting of Invoice, Challan, Guarantee Certificate Test Certificate RR/LR, Excise Duty Gate Pass etc. will be required **to be furnished as per details in P.O. to** Material Management Dept., Central Receiving Stores and Purchase Bills (Accounts).

27. **All Drawings and Patterns** supplied by BHEL will remain BHEL property and **shall be returned to BHEL** as and when demanded by BHEL in good condition.
28. **ARBITRATION** : In all case of disputes emanating from and in reference to this Purchase Order the matter shall be referred to the arbitration of the sole arbitration of the Executive Director/GM of BHEL, Bhopal or any other person (including an employee of BHEL, even though he had to deal with the matter relating to this P.O. in any manner) nominated by the said Executive GM to act as sole arbitrator. The arbitration shall be under 'THE ARBITRATION AND CONCILIATION ACT OF 1996' and the rules there under. The arbitrator may from time to time with the consent of the parties enlarge the time for making and publishing the award.
29. **All suit / claims** in respect of this shall be in the Courts of Bhopal only.
30. BHEL also reserve its right to allow to the Public Sector Enterprises ordering and price preference facilities as admissible under the existing policy.
31. **SAFETY CLAUSE FOR PURCHASE ORDERS:**  
The vendors shall maintain and ensure sufficient safety measures as required for inspections and tests like HV test Pneumatic test, Hydraulic Test. Spring test. Bend test Material handling and safe working environment etc. to enable Inspection Agency for performing inspection.  
The vendor shall ensure that all the safety precautions specified in Factories Act 1948 Chapter-IV Section-21 to 41 are complied with respect to equipment is found not complying with proper safety requirements, then the Inspection agency may withhold inspection, till such the desired safety requirements are met.
32. Evaluation of offer shall be on the basis of delivered cost (HESG).
33. Failure to dispatch the material in the time as per the items of delivery quoted in our order would make the supplier liable to an unconditional penalty of half percent of the price of the goods in arrears per week at BHEL's discretion, subject to a maximum of 10% of the order value.



# भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

यूटि : भोपाल

सामग्री प्रबंधा विभाग

एम.एम. 5505

संशो. 06

स्वदेशी इक्वायरी के बिंधा एवं शर्तें :

1. इक्वायरी में उल्लिखित मदों के लिए **दो प्रतियों में मुहरबंद कोटेशा** आमत्रित किए जाते हैं। कोटेशा टाइप किए हुए हों चाहिए तथा उसमें उपरिलेखा (ऑवर राइटिंग) लिखकर मिटाया जाा (इरेजर्स) ही हों चाहिए यदि कुछ सुधार किए गए हों या कुछ बढ़ाया गया हों तो उसे अनुप्राणित कराा आविार्य है।
2. **प्रत्येक कोटेशा दोहरे लिफाफे में भेजे जायें**, दोनों लिफाफे सील किया हुआ कार्यालय का पता होा चाहिए तथा उा पर **इक्वायरी क्र. ई .....** देय दिांक ..... आदि लिखा हुआ होा चाहिए। भ्रमपूर्ण स्थिति से बचो के लिए **प्रत्येक इक्वायरी के लिए कोटेशा अलग अलग दोहरे लिफाफों के सेटों में भेजे जाो चाहिए। इक्वायरी में यदि कोटेशा और खुलो का दिांक हीं हो तो उसे गिरस्त कर दिया जायेगा।**
3. **कोटेशा इस कार्यालय में देय दिांक के प्रातः 11.00 बजे तक पहुंच जाा चाहिए** और देय दिांक को दोपहर 2.00 बजे के बाद उसे खोला जाएगा।
4. विविदिशित अनुसार ामा इस प्रकार भेजा जाय कि वह **कोटेशा खुलो के दिांक तक हमें मिल जाए।**
5. इक्वायरी के साथ दिया गया **क्वालिटी एश्योरेस प्ला फारमेट कोटेशा के साथ विधिवत भरकर भेजा जाए।**
6. कोटेशा में विभिर्ताओं का ाम, उाका व्यवसाय चिह एवं छाप (ब्रांड) (यदि हो तो) अवश्य उल्लिखित हों चाहिए तथा **तकीकी विवरण आदि दो वाली चित्रांकित पुस्तिकाएं भी**, यदि कोई हों, कोटेशा के साथ संलग करें।
7. सामग्री, इक्वायरी में उल्लिखित हमारी ड्राइंग तथा विविदिशों के अरूप तथा उत्तम गुणवता की होी चाहिए। यदि कोई विचला (डिविएशा) हो तो कोटेशा में उसका साफ-साफ उल्लेख किया जाए।
8. **भुगता की शर्तें :**  
**क. स्थायी सहायक उद्योग, एस.एस. आई. यूटि एवं अय स्थायी आपूर्तिकर्ता:**  
सामग्री की प्राप्ति एवं उसकी स्वीकृति पर बी.एच.ई.एल. में प्राप्ति के दिांक से 90 दिा के भीतर शत-प्रतिशत भुगता।  
**ख. बाहरी एस.एस. आई. और अय आपूर्तिकर्ता:**  
- बी.एच.ई.एल. सामग्री आपूर्ति 'डोर डिलीवरी' को प्राथमिकता देता है एवं ऐसी स्थिति में भुगता सामग्री प्रेषण के दिांक से 90 दिा के भीतर किया जायेगा।  
- सामग्री प्रेषण के दस्तावेज बैंक द्वारा भेजो के मामले में सामग्री प्रेषण के दिांक से 90 दिा के भीतर शत-प्रतिशत भुगता किया जायेगा जिसकी सामग्री आपूर्ति हमारे संस्था में करी होगी।
9. क्रय आदेश प्राप्त करो पर उसकी **सुपुर्दगी (डिलेवरी) दिांक कोटेशा हर मद में साथ दर्शाया जाए।**
10. किसी भी मामले में कोई **आयात लाइसेंस हीं दिया जाएगा**, स्वदेशी विभिर्माण या आयातित भण्डार के प्रस्ताव ही स्वीकार किए जायेंगे।
11. कोटेशा एक बार स्वीकृत हो जाो और आदेश के दिये जाो के बाद **किसी भी कारण से दरों में कोई भी वृद्धि अुमत हीं होगी।** कोटेशा के स्वीकृत होो के बाद उसे वापस लो या धिारित अवधि में सामग्री की आपूर्ति कर सको की स्थिति में आदेश रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा सफल गिविदाकारों से हाा की वसूली भी की जा सकती है।
12. आवश्यक होो पर सफल आपूर्तिकर्ता को आदेश में वर्णित शर्तों और विविदिष्ट सुपुर्दगी के अनुसार आदेश के संतोषजाक गिषादा हेतु (गिविदा के संभरण और गिपटो महाविशालय की दर संविदा सूची में। होो पर) **कुल आदेश मूल्य की दस प्रतिशत राशि का प्रतिभूत क्षेप या किसी अूमोदित बैंक से 10 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करी होगी।**
13. जब तक कि अयथा विविदिशित। हो ट्राजिट बीमा बी.एच.ई.एल. द्वारा करवाया जाएगा।
14. सभी माल का **गिरीक्षण** बी.एच.ई.एल. और / या उाके प्राधिकृत प्रतिगिधि/ग्राहक द्वारा आपूर्तिकर्ता के कारखो / बी.एच.ई.एल. भण्डार या क्रय आदेश में बी.एच.ई.एल. द्वारा दर्शाए किसी अय स्था पर किया जा सकता है।
15. सभी माल के लिए प्रेषण या गिरीक्षण के बाद स्वीकृत, तो भी बाद में की जाए, के दिांक से 24 मास तक के लिये आपूर्तिकर्ता द्वारा **किसी दोष से मुक्त होो की गारंटी होी चाहिये।**
16. आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) द्वारा बी.एच.ई.एल. के किसी आदेश को या उसके किसी भाग की उपसंविदा पर दिए जाो की मंश पर उपसंविदा के विवरण तथा उपसंविदा पर दिए जाो वाले के विवरण बी.एच.ई.एल. से लिखित अुमति प्राप्त की जाएगी। तथापि इससे बी.एच.ई.एल. के आदेश की शर्तों के अुपाला के उत्तरदायित्व से आपूर्तिकर्ता बरी हीं हो जाएगा।

17. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिये यह बाध्यकरा ही है कि वह नितम दर को या किसी कोटेशा को स्वीकार करें, किंतु वह यह अधिकार अपो पास सुरक्षित रखता है कि वह अपो विवेकागुसार कोई भी कोटेशा पूरा या उसका कोई भी अंश स्वीकार कर लें ।
18. **दरें इक्वायरी में दी गयी यूरिटी** में कोटेशा खोले जा के धिारित दिकांक से तीा मास की अवधि के लिये दी जागी चाहिए । **दरें अंकों और शब्दों में दर्शायी जागी चाहिये ।**
19. किसी कोटेशा के खोले जा के बाद किंतु क्रय आदेश दिए जा से पहिले यदि कोई विविदाकार कोटेशा वापस ले लेता है और यदि उसो बयाा राशि जमा कर दी है तो उसे समपहृत किया जा सकता है ।
20. कोटेशा में **टैरिफ मद क्रमांक** तथा लागू उत्पाद कर दर्शाया जाा चाहिये । हमसे प्रभारित करो पर **मूल उत्पादा कर गेट पास** प्रस्तुत कराा भी अपेक्षित होगा ।
21. आपूर्ति के समय लागू केद्रीय विक्रय कर ही केवल प्रभारित किया जायेगा । हमारा पंजीया क्रमांक भोपाल1/एच.ई.एल.11 (सी) दिकांक 28/01/1982 है, किंतु यदि किसी विविदाकार को यह पता लगता है कि कोई और विक्रय कर का भी भुगताा किया जाा है तो कोटेशा में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।
22. जहां अतिरिक्त विक्रय कर के भुगताा का प्रावधा है वहां इका भुगताा तभी किया जाएगा जब राज्य विक्रय कर तथा केद्रीय विक्रय कर दोनों के पंजीया क्रमांक बिल/बीजक में विशिष्ट रूप से उका उल्लेख किया गया होगा ।
23. कोटेशा में **आपूर्तिकर्ता विक्रय कर पंजीया संख्या** अवश्य दर्शायी जाये ।
24. **आपूर्तियाँ भली-भाँति सुरक्षित** भेजी जाए और माल की पैकिंग इस प्रकार की जाए कि किसी प्रकार की कोई हागी, कुसाा आदि हो, चिहांका एवं प्रेषित ब्यौरे क्रय आदेश अगुसार हों चाहिए ।
25. **सभी सामग्री वरि. प्रबंधक, केद्रीय प्राप्ति आुभाग** को यदि रेल द्वारा है तो हेवी इलेक्ट्रिकल्स साइडिंग वाया भोपाल जाये । सड़क से भेजे जा के पर सामग्री दरवाजे पर सुपुर्दगी (आा डोर डिलेवरी) के आधार पर वरि. उप महाप्रबंधक केद्रीय प्राप्ति आुभाग, बाक-सात, बी.एच.ई.एल. भोपाल को भेजी जाये कोई सामग्री उक्तागुसार बुक ही की जा के **कारण हों वाला कोई घाटा या भाड़ा या विलम्ब शुल्क आपूर्तिकर्ता के खाते में लिखा जाएगा ।**
26. **क्रय आदेश मे दर्शाएँ ब्यौरे के अगुसार** बीजक चालाा, गारण्टी प्रमाण-पत्र परीक्षण प्रमाण-पत्र, रेल्वे रसीद/लारी आदि दस्तावेजों का सेट सामग्री प्रबंधा विभाग केद्रीय प्राप्ति आुभाग क्रय बिल (रेल्वे) विभागों को प्रस्तुत कराा आवश्यक होगा ।
27. बी.एच.ई.एल. द्वारा दी गई **ड्राइंग तथा पैटर्न** बी.एच.ई.एल. की संपत्ति रहेगी और बी.एच.ई.एल. द्वारा मांगे जा के पर उन्हें **बी.एच.ई.एल. को वापस कराा पड़ेगा ।**
28. **माध्यस्थम:** इस क्रय आदेश के संदर्भ और इससे संबंधित सभी विवाद के मामले वह बी.एच.ई.एल. भोपाल के कार्यपालक िदेशक/महाप्रबंधक अथवा उक्त कार्यपालक िदेशक/ महाप्रबंधक द्वारा एकमात्र माध्यस्थम के रूप में कार्य करो के लिए ामित किसी अय व्यक्ति (बी.एच.ई.एल. के कर्मचारी सहित, भले ही वह किसी भी प्रकार इस क्रय आदेश से संबंधित मामले से संबंधित रहा हो) के सुपुर्द किया जाएगा । यह माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 और उसके नियमों के अधधी होगा । माध्यस्थम समय-समय पर पार्टियों की सहमति से अवार्ड दो तथा उसे प्रकाशित करो का समय बढा सकता है ।
29. इससे संबंधित सभी **वाद/दावे** केवल भोपाल के यायालयों में चलेंगे ।
30. बी.एच.ई.एल. अपाा यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वर्तमाा िति के अंतर्गत यथाग्रह आदेश दिये जा के तथा मूल्य अधिमाा सुविधाएँ अुमत करेगा ।
31. **क्रय आदेश के लिए संरक्षा शर्त:** िरीक्षण एजेसी द्वारा िरीक्षण के लिये विक्रेता एच.बी. परीक्षण, यूमेटिक परीक्षण, हाइड्रालिक परीक्षण, स्प्रिंग परीयण, बैंड परीक्षण, सामग्री हैडलिंग और सुरक्षित रूप से कार्य करो के वातावरण आदि जैसे िरीक्षणों के लिये आवश्यक पर्याप्त सुरक्षा उपायों का रखरखाव करेगा तथा उन्हें सुगिश्चित करेगा । विक्रेता जांच किये जा के वाले उपस्करों के संबंध में कारखाा अधिनियम 1948 के चेप्टर-चार, खंड 21 से 41 में विगिर्दिष्ट सुरक्षा संबंधी सभी सावधाणियों का अुशासा सुगिश्चित करेगा । यदि कोई सुरक्षा उपस्कर समुचित सुरक्षा आवश्यकताओं के अुरुप ही पाया जाता है तो परीक्षण बंद कर सकती है । जब तक कि अपेक्षित सुरक्षा आवश्यकताएँ पूरी ही हो जाती ।
32. ऑफर का मूल्यांका आपूर्ति के बाद की लागत (एच.ई.एस.जी.) के आधार पर किया जाएगा ।
33. हमारे आर्डर में उद्धृत डेलेवरी की मदों के अुसार समय से सामग्री प्रेषित । करो की स्थिति में आर्डर के अधिकतम मूल्य के 10% के अधी बी.एच.ई.एल. के इच्छागुसार आपूर्तिकर्ता की प्रति सप्ताह सामग्रियों के मूल्य के आधा प्रतिशत की दर बिा शर्त जुर्माा देा होगा ।